संख्या-15 /2023/ सा0-147/38-2-2023/002-01-बी-2012

प्रेषक,

रमेश चन्द्र मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 22 मार्च, 2023**

विषय:- नवसृजित जनपद-हापुड़ में विकास भवन के निर्माण कार्य में जी0एस0टी0 धनराशि के भुगतान के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-189/बजट अनु0/सामु0वि0/2020-21 दिनांक 05-08-2021 एवं मुख्य विकास अधिकारी, हापुड़ के पत्रांक-260/नाजिर-विकास भवन/जी0एस0टी0/2020-21, दिनांक 29.07.2021 द्वारा जनपद-हापुड़ के विकास भवन के निर्माण कार्य की आकलित लागत रू0 1049.56 लाख के क्रम में निर्माण कार्य के सापेक्ष कार्यदायी संस्था-यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती-उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) द्वारा जी0एस0टी0 के मद में जमा की गयी धनराशि रू0 23.00572 लाख (रूपये तेईस लाख पांच सौ बहत्तर मात्र) को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यदायी संस्था-यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रश्नगत योजना में जी0एस0टी0 के मद में जमा की गयी धनराशि रू0 23.00572 लाख पर सम्यक विचारोंपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यदायी संस्था को भुगतान किये जाने हेतु धनराशि रू0 23.00572 लाख (रूपये तेईस लाख पांच सौ बहत्तर मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस कार्य हेतु दी जा रही है उसी कार्य में ही व्यय की जायेगी। इसका किसी अन्य कार्य में व्यय/डाइवर्ट अनुमन्य नहीं होगा।
(3) धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 23,00,572 (रुपये तेईस लाख पांच सौ बहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 4515001020300 जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- **यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-**1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या -** 13 / 2022/ **बी-**1-454/**दस-**2022-231/2022, **दिनांक-** 07-**जून** 2022 **में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

संख्या-15/2023/सा0-147(1)/38-2-2023-002-01-बी-2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- अपर आयुक्त, (वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4- नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी, हापुड़।
6- मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, हापुड़।
7- कोषाधिकारी, हापुड़।
8- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, हापुड़।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
10- अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (पूर्ववर्ती उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) गाजियाबाद।
11- ग्राम्य विकास अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**